भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 265*
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

आंध्र प्रदेश में कॉयर क्षेत्र का विकास

*265. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर कोनासीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश में कॉयर-आधारित कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, उनसे कितने रोजगार सृजित हुए हैं और सरकार द्वारा वहां कॉयर क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कॉयर आधारित इकाइयों को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का जिलावार, वर्षवार और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के विशेषकर कोनासीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश में कॉयर क्षेत्र के लिए कच्चे माल के आधर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोई कार्यक्रम हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) आंध्र प्रदेश में कॉयर बोर्ड द्वारा स्थापित आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) के संचालन और संबंधित परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का कोनासीमा जैसे अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में ऐसे एलबीआई और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(जीतन राम मांझी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

"आंध्र प्रदेश में कयर क्षेत्र का विकास" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोकसभा में उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 265* के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से आंध्र प्रदेश और कोनासीमा जिले में स्थापित कयर इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	सहायता प्राप्त कयर इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
आंध्र प्रदेश	617	4,936
कोनासीमा जिला	126	1,008

देश में कयर क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कयर विकास योजना और परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमके अंतर्गत नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋणों पर परियोजना लागत के 35% तक ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है। कयर विकास योजना लाभों में नई कयर प्रौद्योगिकियों का विकास और उनका प्रसार, कौशल उन्नयन, घरेलू और निर्यात बाजार संवर्धन शामिल हैं। स्फूर्ति सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संयंत्र और मशीनरी की खरीद और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों के समूहों (क्लस्टर) को बढ़ावा देती है।

(ख): मंत्रालय की दो प्रमुख स्कीम अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नई कयर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार, वर्ष-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्फूर्ति के अंतर्गत कयर क्लस्टरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार,और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

(ग): सरकार नारियल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और इस प्रकार कयर क्षेत्र के लिए कच्चे माल के आधार को सुदृढ़ करने पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सांविधिक निकाय, नारियल विकास बोर्ड ने कोनासीमा ज़िले सहित आंध्र प्रदेश में नारियल क्षेत्र में सुधार के लिए 58.20 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया है। विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

(घ) एवं (ङ): कयर बोर्ड ने राजमंड्री, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में एक आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत कयर क्षेत्र के लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, एलबीआई में 112 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से 66 व्यक्ति नए उद्यम स्थापित करके स्व-रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। जहां तक सामान्य सुविधा केंद्र का संबंध है, आंध्र प्रदेश में ऐसे तीन कयर केंद्रों को स्फूर्ति के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I:

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कयर इकाइयों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता					
		वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	363.65	429.21	451.79	292.34	218.20	**1755.19**
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	**2.45**
3.	असम	3.41	8.53	11.00	17.50	5.08	**45.52**
4.	बिहार	39.66	13.16	7.84	8.45	19.34	**88.45**
5.	छत्तीसगढ़	26.54	25.80	6.62	17.50	18.92	**95.38**
6.	गोवा	5.81	7.35	8.75	0.00	0.00	**21.91**
7.	गुजरात	753.66	763.03	151.66	109.66	50.53	**1828.54**
8.	हरियाणा	32.00	38.68	11.25	12.00	15.00	**108.93**
9.	हिमाचल प्रदेश	9.00	30.93	7.47	0.00	1.75	**49.15**
10.	झारखंड	6.10	3.75	8.75	1.14	0.00	**19.74**
11.	कर्नाटक	89.28	127.79	84.92	16.66	23.84	**342.49**
12.	केरल	170.98	250.61	128.76	93.13	4.44	**647.92**
13.	मध्य प्रदेश	81.75	15.46	30.79	0.00	2.49	**130.49**
14.	महाराष्ट्र	119.15	99.78	86.15	54.38	50.07	**409.53**
15.	मणिपुर	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**6.3**
16.	मेघालय	0.74	2.80	0.00	0.00	0.00	**3.54**
17.	मिजोरम	2.45	0.00	0.00	7.50	2.37	**12.32**
18.	नागालैंड	12.47	12.30	0.00	0.00	0.00	**24.77**
19.	ओडिशा	111.30	90.64	54.74	43.95	25.52	**326.15**
20.	पंजाब	30.18	15.52	32.49	29.94	17.50	**125.63**
21.	राजस्थान	73.54	89.58	32.23	10.40	21.64	**227.39**
22.	सिक्किम	5.03	3.47	0.00	0.00	0.00	**8.5**
23.	तमिलनाडु	1225.15	1048.49	577.80	395.69	165.64	**3412.77**
24.	तेलंगाना	76.90	77.19	45.98	14.01	13.96	**228.04**
25.	त्रिपुरा	16.45	12.60	5.25	0.00	2.10	**36.4**
26.	उत्तर प्रदेश	263.37	277.31	168.89	78.65	26.45	**814.67**
27.	उत्तराखंड	15.11	18.65	5.95	1.75	0.00	**41.46**
28.	पश्चिम बंगाल	17.79	6.06	7.68	2.50	14.18	**48.21**
योग		**3560.22**	**3468.69**	**1926.76**	**1207.15**	**699.02**	**10861.84**

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कयर इकाइयों का जिला-वार और वर्ष-वार विवरण:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिला	बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता					
		वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	कुल
1.	अनकापल्ली	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.5
2.	अनंतपुर	8.00	3.61	17.11	0.00	0.00	21.45684
3.	बापतला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4.	चित्तूर	8.00	10.56	13.65	0.00	0.00	31.91
5.	पूर्वी गोदावरी	392.00	316.32	173.67	57.80	35.28	842.99
6.	एलुरु	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	8.75
7.	गुंटूर	0.00	0.00	12.95	0.00	8.29	21.24
8.	कडपा (वाईएसआर)	32.00	14.70	0.00	0.00	0.00	42.05
9.	कोनासीमा	0.00	0.00	110.98	156.65	105.58	373.21
10.	कृष्णा	8.00	30.60	8.75	7.00	13.83	66.43
11.	कुरनूल	0.00	8.00	6.25	0.00	0.00	14.25
12.	नांदयाल	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	16.73
13.	नेल्लोर	0.00	0.00	11.00	4.10	0.00	15.1
14.	प्रकाशम	0.00	5.25	2.58	3.50	0.00	11.33
15.	श्री सत्य साईं	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	5.92
16.	श्रीकाकुलम	8.00	5.98	10.17	19.25	0.00	44.15
17.	तिरुपति	0.00	0.00	1.30	8.75	12.25	22.3
18.	विशाखापत्तनम	0.00	6.19	21.00	8.75	5.25	41.19
19.	विजयनगरम	0.00	0.00	10.97	1.05	0.00	12.02
20.	पश्चिमी गोदावरी	72.00	28.00	36.75	23.00	21.00	161.68
	योग	**528.00**	**429.21**	**451.79**	**292.34**	**218.20**	**1755.21**

<u>दिनांक 07.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II:</u>

विगत 5 वर्षों के दौरान कयर क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्राप्त स्फूर्ति क्लस्टरों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**क्लस्टर का नाम**	**प्रदान की गई वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)**
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	कडियापुलंका कयर क्लस्टर	188.65
2.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	अमलापुरम कयर क्लस्टर	156.97
3.	कर्नाटक	तुमकुर	चेलुरु कयर क्लस्टर	206.85
4.	कर्नाटक	हासन	जवागल कयर क्लस्टर	83.84
5.	कर्नाटक	तुमकुर	कॉर्टगेरे कयर क्लस्टर	225.44
6.	कर्नाटक	मंड्या	कुड्डालुरु कयर क्लस्टर	207.84
7.	कर्नाटक	तुमकुर	श्री गंगानाथस्वामी कयर क्लस्टर	221.10
8.	कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर कयर क्लस्टर	432.53
9.	केरल	अलाप्पुझा	अम्बालापुझा कयर डेवलपमेंट सोसायटी	79.74
10.	ओडिशा	बालासोर	भोगराई कयर क्लस्टर	99.37
11.	ओडिशा	पुरी	राधारानी कयर क्लस्टर	92.54
12.	ओडिशा	केंद्रपाड़ा	राजकनिका कयर क्लस्टर	80.63
13.	तमिलनाडु	इरोड	कोंगु कयर क्लस्टर	236.83
14.	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	कृष्णागिरी कयर क्लस्टर	166.53
15.	तमिलनाडु	थिरुवरुर	मन्नारगुडी कयर क्लस्टर	246.50
16.	तमिलनाडु	सलेम	ओमलुर कयर क्लस्टर	247.18
17.	तमिलनाडु	वेल्लोर	पक्कम कयर क्लस्टर	245.74
18.	पश्चिम बंगाल	पूर्व बर्धमान	पूर्व बर्धमान कयर क्लस्टर	255.66
योग				**3473.94**

अनुलग्नक III

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक III:

कयर क्षेत्र के लिए कच्चे माल के आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वित कार्यक्रम:

i. **प्रदर्शन भूखंड स्कीम का लेआउट:** इस स्कीम का उद्देश्य एकीकृत प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर नारियल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश में 8.14 करोड़ रुपये का उपयोग कर किसानों के खेतों में 2,515.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एकीकृत प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें से 2.82 करोड़ रुपये की लागत से कोनासीमा जिले में 1,118.57 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

ii. **पुनःरोपण और कायाकल्प स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य रोगग्रस्त, अनुत्पादक, पुराने और जीर्ण ताड़ के पेड़ों को हटाकर, गुणवत्तापूर्ण पौधों के साथ व्यवस्थित रूप से पुनःरोपण करना और एकीकृत पद्धतियों के माध्यम से शेष ताड़ के पेड़ों का पुनरुद्धार करना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में 41.55 करोड़ रुपये का उपयोग करके 8,110.51 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर किया गया है, जिसमें से 7.34 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कोनासीमा जिले में 2,064.18 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कायाकल्प और 40,529 पौधों के पुनःरोपण के लिए किया गया है।

iii. **नारियल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार**: पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में 5,586.64 हेक्टेयर क्षेत्रफल को नारियल की खेती के अंतर्गत लाया गया है।

iv. नारियल विकास बोर्ड द्वारा वैज्ञानिक नारियल कृषि प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के बारे में जागरूकता प्रसार के लिए 58 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

v. विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म की स्थापना की गई तथा 3.54 लाख नारियल की पौध का उत्पादन किया गया, जिससे गुणवत्तापूर्ण पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई।